



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

19 मार्च 2025

## गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 मार्च 2025 को मुंबई में चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों के अध्यक्षों और एमडी एवं सीईओ के साथ बैठक की

गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज देश के विभिन्न भागों में संचालित सभी स्तरों के चुनिंदा शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उद्योग निकायों, यथा नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। यह बैठक रिज़र्व बैंक की अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ सहभागिता की शृंखला के एक भाग के रूप में थी।

बैठक में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव और श्री स्वामीनाथन जे. के साथ-साथ विनियमन एवं पर्यवेक्षण के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी उपस्थित थे।

गवर्नर ने अपने आरंभिक भाषण में जमीनी स्तर पर लोगों की सेवा करने और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में शहरी सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को सराहा। उन्होंने कहा कि रिज़र्व बैंक इस क्षेत्र को उसकी संवृद्धि महत्वाकांक्षाओं में सहयोग देना जारी रखेगा, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यूसीबी को भी विशेष रूप से जमाकर्ताओं द्वारा उन पर जताए गए विश्वास को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास बनाने और उसे बनाए रखने के लिए ग्राहक सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। यूसीबी को यह भी सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया कि वे आईटी और साइबर-संबंधी जोखिमों सहित परिचालन के मामले में आघात सह बने रहें।

बैठक के संवादात्मक सत्र के दौरान प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिक्रियाएं साझा कीं और विभिन्न सुझाव दिए।

(पुनीत पंचोली)

मुख्य महाप्रबंधक